"गोपनीय"
CONFIDENTIAL

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर– 273012
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

सं0- NOC/2020/01/01346/PC

दिनांक-09 .06 .2021

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

विषय :- रेलवे चिकित्सालयों में औषधियों के स्थानीय क्रय की प्रक्रिया में पद्धति सुधार के सम्बन्ध में।

****

एक सतर्कता जांच के आलोक मे पाया गया है कि मंडल चिकित्सालय, इज्ज़तनगर द्वारा वर्ष 2018 में औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु फर्मों के रजिस्ट्रेशन एवं रिबेट ऑफर प्राप्त करने के क्रम में निम्न कमियां पायी गयीं हैं :-

1. पाया गया है कि फर्मों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में केवल Eligibility criteria के आधार पर चिन्हित की गयी फर्मों की लिस्ट पर दिनांक 26.06.18 को मुचिनि, गोरखपुर द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उक्त अंतिम स्वीकृति के पश्चात दिनांक 12.07.18 एवं दिनांक 30.07.18 को फर्मों द्वारा जमा की गयी रजिस्ट्रेशन फी एवं फर्मों के रिटेल लाइसेंस के आधार पर रजिस्टर्ड फर्मों की लिस्ट में परिवर्तन किया गया। परन्तु अलग-अलग श्रेणियों में रजिस्टर की गयी फर्मों की फाइनल लिस्ट (परिवर्तित लिस्ट) से मुचिनि, कार्यालय को अवगत नही कराया गया था। इसी क्रम में अलग-अलग श्रेणियों में मुचिधि/इज्ज़तनगर द्वारा स्वीकृत फाइनल रिबेट ऑफर्स से भी मुचिनि कार्यालय, गोरखपुर को अवगत नही कराया गया था।
2. इज्ज़तनगर मंडल द्वारा की गयी उक्त रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पाया गया है कि Local purchase of medicines श्रेणी में फर्मों से रिबेट लेते समय Generic medicines पर रिबेट ऑफर नहीं माँगा गया था, जबकि कभी-कभी फर्म्स के पास ब्रांडेड मेडिसिन्स उपलब्ध न होने पर फर्मों द्वारा day to day Local purchase में भी Generic medicines सप्लाई की जाती है। अतः Local purchase of medicines के मामले में फर्मों से रिबेट लेते समय Generic medicines पर भी रिबेट ऑफर लिया जाना चाहिए था।

अतः Local purchase हेतु फर्मों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में निम्न महत्वपूर्ण बदलावों हेतु सुझाव दिया जाता है कि :-

I. Local purchase की अलग-अलग श्रेणियों में रजिस्टर की गयी फर्मों की फाइनल लिस्ट एवं उक्त फर्मों द्वारा दिए जा रहे रिबेट ऑफर्स पर मुचिनि महोदय से स्वीकृति ली जानी चाहिए, ताकि यदि अन्य चिकित्सालयों को पूर्व में Local purchase पर प्राप्त रिबेट एवं जारी Tender पर प्राप्त रिबेट ऑफर में अधिक अंतर प्राप्त होता

है; तो उस पर मुचिनि द्वारा तुलनात्मक आधार पर तर्क संगत निर्णय लिया जा सके। उक्त प्रक्रिया के अनुसरण से Local purchase हेतु फर्मों के रजिस्ट्रेशन एवं रिबेट की प्रक्रिया में पूरे जोन में एकरूपता लाये जाने के साथ ही, रेल राजस्व को भी बचाया जा सकता है।

II. Local purchase of medicines की श्रेणी में Generic medicines पर भी अलग से रिबेट ऑफर लिया जाना चाहिए एवं फर्मों द्वारा सप्लाई Generic medicines का बिल अलग से प्राप्त कर, फर्मो द्वारा जेनेरिक मेडिसिन्स में देय रिबेट को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण होने वाले राजस्व हानि को रोका जा सके था।

रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र संख्या 2017/H/4/1/Local purchase, दिनांक 31.10.18 के माध्यम से Local purchase of medicines पर एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गयी है तथा Local purchase of medicines को स्टीमलाइन करने हेतु निर्देशित किया गया है। चूँकि इज्ज़तनगर मंडल द्वारा की गयी उक्त रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस रेलवे बोर्ड पत्र के पूर्व ही पूर्ण कर ली गयी थी, अतः भविष्य में होने वाली Local purchase of medicines हेतु फर्मों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में उक्त सुधारों के साथ ही इस रेलवे बोर्ड पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वैभव 09/06/2021

(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता

प्रतिलिपि :- मुचिधि/मंडल चिकित्सालय, इज्ज़तनगर, मुचिधि/मंडल चिकित्सालय, वाराणसी, मुचिधि/मंडल चिकित्सालय, बादशाहनगर एवं चिनि/लनामिरेचि, गोरखपुर।

(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता